निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–145/21
दायरा दिनांक :–29.10.2021
निर्णय दिनांक :–30.12.2022

उनवान

1. रामलाल पुत्र श्री दूधा जी जाति कोली निवासी ग्राम बम्बूलिया जागीर तहसील बारां
2. सुरेश पुत्र श्री कान्हा जाति कोली निवासी संस्था धर्मादा चौराहा, कोलियों के मन्दिर के पीछे, बारां जिला बारां राज0
3. कमलेश पुत्री श्री कान्हा पत्नी श्री नेनगीलाल जाति कोली निवासी गेंता रोड़ इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0
4. नन्दू पत्नी श्री कान्हा जाति कोली निवासी संस्था धर्मादा चौराहा, कोलियों के मन्दिर के पीछे, बारां जिला बारां राज0

–वादीगण

बनाम

1. रामनारायण पुत्र श्री केसरीलाल जाति कोली निवासीगण केशवपुरा सेक्टर नं0 4, राजपूत कॉलोनी, लव कुश पार्क के पास, कोटा जिला कोटा राज0
2. घनश्याम पुत्र श्री केसरीलाल जाति कोली निवासीगण केशवपुरा सेक्टर नं0 4, राजपूत कॉलोनी, लव कुश पार्क के पास, कोटा जिला कोटा राज0
3. कन्या पुत्री केसरीलाल पुत्र श्री केसरीलाल जाति कोली निवासीगण केशवपुरा सेक्टर नं0 4, राजपूत कॉलोनी, लव कुश पार्क के पास, कोटा जिला कोटा राज0
4. राजेन्द्र पुत्र श्री छोटूलाल जाति कोली निवासीगण बम्बूलिया जागीर तहसील बारां
5. महेशपुत्र श्री छोटूलाल जाति कोली निवासीगण बम्बूलिया जागीर तहसील बारां जिला बारा
6. हेमलता पुत्री श्री छोटूलाल पत्नी श्री मांगीलाल जाति कोली निवासी ग्वाड़ी मिठेपुरा श्योपुर जिला श्योपुर म0पी0
7. नेनगी पुत्री छोटूलाल पत्नी श्री चौथमल जाति कोली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0
8. सीताबाई पत्नि श्री छोटूलाल कोली निवासीगण बम्बूलिया जागीर तहसील बारां जिला बारां
9. अनिल पुत्र श्री धनराज जाति कोली कोली निवासीगण बम्बूलिया जागीर तहसील बारां
10. कपिल पुत्र श्री धनराज नाबालिग जरिये संरक्षक माता ममता पत्नि श्री धनराज जाति कोली निवासीगण बम्बूलिया जागीर तहसील बारां जिला बारां राज0
11. ममता पत्नी श्री धनराज जाति कोली निवासीगण बम्बूलिया जागीर तहसील बारां जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:57:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

12. गौरू पुत्र श्री बुधा जाति कोली निवासीगण बम्बूलिया जागीर तहसील बारां जिला बारां
13. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां राज0 —प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक :—

अभिभाषक उपस्थित :—1. श्रीबृजराज किशोर शर्मा एड0— वादीगण

अभिभाषक वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0 टी0 एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया किवाके ग्राम बम्बूलिया जागीर तहसील व जिला बारां में आराजी खसरा नं0 319 रकबा 1.59 हे0 1, खसरा नं0 697 रकबा 0.10 हे0, खसरा नं0 700 रकबा 2.58 हे0 किस्म चाही 3, खसरा नं0 913 रकबा 0.27 हे0, खसरा नं0 914 रकबा 0.11हे0 कुल किता 5 कुल रकबा 4.56 हे0 स्थित है। उक्त आराजियात को प्रस्तुत वाद में विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। एवं जमाबन्दी सम्वत् 2072—2075 में इसकी पुष्टि होती है। उक्त वर्णित आराजी के वर्तमान 1/4 रिकॉर्डेड खातेदार वादी रामलाल हिस्सा 1/5, सुरेश हिस्सा 1/15, नन्दूहिस्सा 1/15, कमलेशहिस्सा 1/15 एवं प्रतिवादी रामनारायण हिस्सा 1/20, घनश्याम हिस्सा 1/20, कन्या हिस्सा 1/20, राजेन्द्र हिस्सा 1/30, महेश हिस्सा 1/30, नेनगी हिस्सा 1/30, हेमलता हिस्सा 1/30, सीताबाई पत्नी छोटूलाल हिस्सा 1/30, अनिल हिस्सा 1/90, कपिलहिस्सा 1/90, ममताहिस्सा 1/90, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अंकित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण मुताबिक राजस्व रिकार्ड अपने—अपने हक हिस्से पर अपने पूर्वजों के समय से उक्त विवादित आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त आराजी पृथक—पृथक खातेदारी में दर्ज नहीं होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच काश्तकारी को लेकर अशान्ति रहती है। तथा कृषि ऋण लेने में परेशानी होती है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन करने पर किवे अपने—अपने खाते में अंकित आराजी का बंटवारा कर मौके पर पृथक—पृथक से अंकित कर राजस्व रिकार्ड में अंकित करवा लेवें, किन्तु प्रतिवादीगण इसमें सहयोग नहीं कर रहे है। तथा वादीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करते है। अन्तिम बार दिनांक 12.10.2021 को बमुकाम ग्राम बम्बूलिया जागीर में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से निवेदन करने पर एवं प्रतिवादीगण द्वारा साफ इंकार करने पर वादीगण को वाद कारण पैदा हुआ। वादीगण उक्त विवादित आराजी के 1/5 हिस्से के सह खातेदार है, अतः वादीगण अपने—अपने हिस्से की आराजी का बंटवारा कर पृथक से राजस्व रिकार्ड में अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:55:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

कराने के कानूनी हकदार है एवं इस हेतू नालिशी है तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के भी कानून हकदार है।

वादी का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बमूलिया जागीर, सम्वत् 2072–75 खाता सं0 239, नकल नक्शा ट्रेस, ग्राम बमूलिया जागीर, नकल खसरा गीरदावरी सम्वत् 2072–75 पेश की गई। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया। है कि उक्त उनवानी प्रकरण में हम पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। कि वाद पत्र में विवादित आराजी में हमारे हक व हिस्से अनुसार बंटवारा कर पृथक खातेदारी अंकित करने में हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्तुत राजीनामा एवं वाद पत्र का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी ग्राम बमूलिया जागीर सम्वत् 2072–75 खाता सं0 239 के अनुसार विवादित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित है वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश कर विवादित आराजी को हिस्से अनुसार पृथक–पृथक बंटवारा कर अलग–अलग खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन किया है इसमें किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम बमूलिया जागीर तहसील बारां के खसरा नं0 319 रकबा 1.59 हे0 1, खसरा नं0 699 रकबा 0.01 हे0, खसरा नं0 700 रकबा 2.58 हे0 किस्म चाही 3, खसरा नं0 913 रकबा 0.27 हे0, खसरा नं0 914 रकबा 0.11 हे0 कुल किता 5 कुल रकबा 4. 56 हे0 भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से अनुसार पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है। तदनुरूप प्रारम्भिक डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:57:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

प्राथमिक डिक्री

वाद संख्या 145/2021	अन्तर्गत 53, 188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 30.12.2022
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री बृजराज किशोर शर्मा		अभिभाषक प्रतिवादीः–श्री

वाद शीर्षक

उनवान

1. रामलाल पुत्र श्री दूधा जी जाति कोली निवासी ग्राम बम्बूलिया जागीर तहसील बारां
2. सुरेश पुत्र श्री कान्हा जाति कोली निवासी संस्था धर्मादा चौराहा, कोलियों के मन्दिर के पीछे, बारां
3. कमलेश पुत्री श्री कान्हा पत्नी श्री नेनगीलाल जाति कोली निवासी गेंता रोड़ इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0
4. नन्दू पत्नी श्री कान्हा जाति कोली निवासी संस्था धर्मादा चौराहा, कोलियों के मन्दिर के पीछे, बारां

बनाम

1. रामनारायण पुत्र श्री केसरीलाल जाति कोली निवासीगण केशवपुरा सेक्टर नं0 4, राजपूत कॉलोनी, लव कुश पार्क के पास, कोटा जिला कोटा राज0
2. घनश्याम पुत्र श्री केसरीलाल जाति कोली निवासीगण केशवपुरा सेक्टर नं0 4, राजपूत कॉलोनी, लव कुश पार्क के पास, कोटा जिला कोटा राज0

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम बमूलिया जागीर तहसील बारां के खसरा नं0 319 रकबा 1.59 हे0 1, खसरा नं0 699 रकबा 0.01 हे0, खसरा नं0 700 रकबा 2.58 हे0 किस्म चाही 3, खसरा नं0 913 रकबा 0.27 हे0, खसरा नं0 914 रकबा 0.11 हे0 कुल किता 5 कुल रकबा 4.56 हे0 भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से अनुसार पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 30.12.2022 .को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला–बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:57:06 IST
Reason: SelfAttested

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानु...	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		

Scanned with CamScanner

...ालय उपखण्ड अधिकारी एव जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

अन्तिम डिक्री

वाद संख्या 145/21	धारा अंतर्गत 53, 188 RTA	निर्णय दिनांक 14.7.23
समक्ष - श्री दिव्यांशु शर्मा आर. ए. एस. उपखण्ड अधिकारी बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री हंसराज किशोर शर्मा	अभिभाषक प्रतिवादी	

वाद शीर्षक

1. रामलाल पुत्र दुधा जाति कोली निवासी बम्बूलिया जागीर तह. बारां
2. सुरेश पुत्र कान्हा जाति कोली नि. लंका धर्मदा चौराहा कोलियों के मंदिर के पीछे बारां
3. कमलेश पुत्री कान्हा पत्नी जगजीलाल जाति कोली निवासी जैता रोड इटावा तह. पीपल्दा कोटा
4. नन्दू पत्नी कान्हा जाति कोली नि. लंका धर्मदा चौराहा कोलियों के मंदिर के पीछे बारां

बनाम

1. रामनारायण पुत्र केसरीलाल जाति कोली नि. केशवपुरा सेक्टर नं. 4 राजपूत कालोनी कोटा
2. घनश्याम पुत्र केसरीलाल 3- कन्या पुत्री केसरीलाल जाति कोली नि. —
4. राजेन्द्र पुत्र छोटूलाल जाति कोली नि. बम्बूलिया जागीर तह. बारां
5. महेश पुत्र छोटूलाल जाति कोली नि. बम्बूलिया जागीर तह. बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम बम्बूलिया जागीर तह. बारां का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है:-

नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा
1. गोरु पुत्र दुधा कौम कोली सा. देह	913	0.27
	914	0.11
	किता 2	0.38
2. राजेन्द्र, महेश, पुत्र, हेमलता, मेनुगी पुत्रियां, सीताबाई पत्नी स्व. छोटूलाल हि. 5/6, कपिल, अनिल पुत्र, ममता पत्नी स्व. घनराज हि. 1/6 कौम कोली सा. देह	319	1.59
3. सुरेश पुत्र, कमलेश पुत्री, नन्दू पत्नी स्व. कन्हैयालाल कौम कोली सा. देह	700 पूर्व	0.32
4. रामलाल पुत्र दुधा कौम कोली सा. देह	700 मध्य	0.32

.... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
साथ ही नियमानुसार .... को निर्गत किया गया।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 14.7.23

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी, बारां

व्ययानुतोष

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:57:06 IST
Reason: SelfAttested

क्र.सं.	व्यय मद		प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज (%)		

Scanned with CamScanner

6- हेमलता पुत्री छोटूलाल पत्नी मांगीलाल जाति कोली निवासी किशनपुरा श्योपुर जिला श्योपुर (म.प्र.)

7- नेनजी पुत्री छोटूलाल पत्नी श्री चौथमल जाति कोली नि. इटावा

8- लीलाबाई पत्नी छोटूलाल जाति कोली नि. बम्बूलिया जागीर तह. बारां

9- अनिल पुत्र धनराज जाति कोली नि. बम्बूलिया जागीर तह. बारां

10- कपिल पुत्र धनराज नाबा. जरिये वली संरक्षक माता ममता पत्नी धनराज कोली निवासी बम्बूलिया जागीर तह. बारां

11- ममता पत्नी धनराज जाति कोली नि. बम्बूलिया जागीर तह. बारां

12- गोरु पुत्र बुधा जाति कोली नि. बम्बूलिया जागीर तह. बारां

13. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बारां

नामखातेदार	ख.नं.	रकबा
5. घनश्याम, रामनारायण पुत्र, कन्याबाई पुत्री केसरीलाल कौम माली सा. डेह	700 पड़ित	1.94
6. सुरेश पुत्र, कमलेश पुत्री, नन्दूबाई पत्नी स्व. कान्हा हि. 1/3, घनश्याम, रामनारायण पुत्र, कन्या पुत्री केसरीलाल हि. 1/3, रामलाल पुत्र बुधा हि. 1/3 कौम कोली सा. डेह	699	0.01

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर लगान निर्धारण करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:57:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner